पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक आवेदन (डी.बी.) संख्या 875

लक्खीसराय थाना कांड संख्या-565 वर्ष-2009, जिला-लखीसराय से संबंधित

==========

सुधीर यादव, गुरूचरण यादव का पुत्र, निवासी ग्राम-लखोचक, थाना-किउल (चानन), जिला-लखीसराय।

....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ के लिए : श्री यागेश चंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

==========

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – धारा 374(2) – गवाहों के बयानों में गंभीर असंगतियाँ, जिनमें पुलिस के समक्ष दिए गए बयान एवं न्यायालय में दिए गए वक्तव्यों के बीच विरोधाभास शामिल – प्राथमिकी दर्ज करने में पाँच दिन की देरी, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी की विश्वसनीयता पर संदेह – साक्ष्य का अभाव – कोई मोबाइल फोन या सिम कार्ड बरामद नहीं – फिरौती से संबंधित कॉल रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक जाँच हेतु नहीं भेजा गया – लगभग 200 लोगों की उपस्थिति का दावा होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया – अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता की संलिप्तता संदेह से परे है।

(संदर्भित: स्टेट रिप्रेजेन्टेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनाम सरवनन एवं अन्य [(2008) 17 SCC 587]; नंद लाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2023) 10 SCC 470]; संपत कुमार बनाम इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कृष्णगिरि [(2012) 4 SCC 124]; टोमासो ब्रूनो एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2015) 7 SCC 178])

(पैरा-36 से 48)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

(निर्णयः माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

दिनांक :- 03-05-2024

अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री योगेश चंद्र वर्मा और राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

2. वर्तमान अपील दोषसिद्ध अपीलार्थी के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दाखिल किया गया है जिसमें दिनांक-14.06.2019 को विद्वान फास्ट ट्रैक न्यायालय-2 लक्खीसराय के सेशन ट्रायल नं.-494 बी/2011 जो लक्खीसराय थाना कांड संख्या-565/2009 दिनांक-09.11.2009 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आई.पी.सी.) की धाराओं 364(ए)/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और आजीवन कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माना भरने का निर्देश दिया है और जुर्माना जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, उसे एक महीने का एस. आई. काटनी होगी। अपीलकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत भी दोषी ठहराया गया है और पांच साल के लिए आर. आई. और 5000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर, पंद्रह दिनों के लिए एस. आई काटनी होगी। उसके बाद अपीलकर्ता को आई. पी. सी. की धारा 365 के तहत पांच साल के लिए आर. आई. और 5000/- रुपये का जुर्माना देना होगा और जुर्माने के भुगतान की चूक में, पंद्रह दिन एस. आई. काटनी होगी। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला, जैसा कि सूचक, मनोहर साव, पीडब्लू-8 की लिखित जानकारी के माध्यम से बताता है, जो पुलिस अधीक्षक, लखीसराय को 08.11.2009 पर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनके पुत्र, लगभग नौ (9) वर्ष की आयु के सोनू कुमार का लगभग 9:00 बजे 04.11.2009 को गाँव-लखोचक, पोस्ट-बिछवई, थाना-इटौन, जिला-लखीसराय से अपहरण कर लिया गया था। कथन उनके अपहृत लड़के के विवरण के बारे में भी बताता है कि उसके शरीर के रंग और आंख के नीचे दाहिने गाल पर निशान, वह काले रंग के फूल-पैंट और सफेद आधी शर्ट में था। लिखित जानकारी से यह भी प्रतीत होता है कि उसे 5,00,000-(पाँच लाख) रुपये, मोबाइल नंबर 9504963018 से 07.11.2009 को फिरौती का कॉल आया था जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि उन्हें इस बात का भी गहरा संदेह है कि उनके पुत्र सोनू कुमार का अपहरण और हत्या स्वर्गीय विजय यादव उर्फ झुना यादव के सभी बेटों हरिकिशन यादव, शशि भूषण यादव, लक्ष्मी यादव और संतोष यादव द्वारा की जा सकती है क्योंकि उनके साथ भूमि विवाद है, जिन्होंने अतीत में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

4. उपरोक्त लिखित जानकारी के आधार पर, आई. पी. सी. की धारा 363-ए/34 के तहत अपराध के लिए 2009 का लक्खीसराय (चानन) थाना मामला संख्या 565 दिनांक-09.11.2009 दर्ज किया गया था, जहां पुलिस ने जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर जांच के बाद, नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ और अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 207 का अनुपालन करने के बाद आई. पी. सी. की धारा 363,364 और 365 के तहत अभियुक्त-अपीलार्थी सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया और मुकदमे और निपटारे के लिए धारा 209 सी.आर.पी.सी के तहत सत्र न्यायालय में मामला सुपुर्द किया गया।

5. विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रतिबद्धता पर अभिलेख प्राप्त करने के बाद, इस मामले को सत्र विचारण सं. 494/2011 के रूप में परीक्षण के लिए दर्ज किया और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर और आई. पी. सी. की धारा 363, 364 और 365 के तहत अपराधों के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी सहित सभी आठ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध आरोप गठन किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। परिणामस्वरूप जैसे ही अभियुक्त-अपीलार्थी ने वाद-विचारण का दावा किया, जो शुरू किया गया।

6. इस मोड़ पर, यह उल्लेख करना उचित होगा कि मूल सत्र परीक्षण सं- 494/2011, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आठ अभियुक्तों में से एक, दिनेश कुमार यादव को किशोर पाया गया और उसके मामले को तदनुसार अलग कर दिया गया। अभियुक्त उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) और सुधीर यादव फैसले के चरण में फरार हो गए। उसका मामला अलग किया गया था, जहां अपीलार्थी/अभियुक्त के मुकदमे को एस. टी. संख्या 494 बी/2011 के रूप में फिर से अंकित किया गया था, जहां उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 (ए), 363 और 365 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाया गया था।

7. अभियोजन पक्ष ने विद्वत निचली अदालत के समक्ष अपना मामला स्थापित करने के लिए कुल दस (10) गवाहों से पूछताछ की, जो पीडब्लू-1 राजीव कुमार साव; पीडब्लू-2 सुदामा कुमार; पीडब्लू-3 राम रजक; पीडब्लू-4 साबो देवी; पीडब्लू-5 डबलू महतो; पीडब्लू-6 पिंकी देवी; पीडब्लू-7 पुतुल देवी; पीडब्लू-8 मनोहर साव; पीडब्लू-9 सोहन महतो और पीडब्लू-10 अतुल कुमार मिश्रा (इस मामले के जांच अधिकारी) हैं।

8. उपरोक्त के अलावा, संजीव कुमार नामक एक गवाह से अदालत ने सी. डब्ल्यू.-1 के रूप में पूछताछ की है।

9. अभियोजन पक्ष ने मामले के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार हैंः

प्रदर्श 1- लिखित रिपोर्ट पर सूचक मनोहर साव के हस्ताक्षर;

प्रदर्श 2- एफ. आई. आर. दर्ज करने और हस्ताक्षर करने के संबंध में अनुमोदन; और

प्रदर्श I- मोबाइल नंबर 9631146123

10. मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

11. मुकदमे के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर, विद्वत निचली अदालत ने अपीलार्थी-अभियुक्त के सामने उन सभी अपराध साबित करने वाले सबूतों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रखा, जिसे उसने ऐसी सभी परिस्थितियों और सबूतों को नकारते हुए अस्वीकार कर दिया, जैसा कि उसे समझाया गया था और अपनी बेगुनाही का दावा करके गलत निहितार्थ के बारे में कहा गया था।

12. मुकदमे के दौरान सामने आई सामग्री के आधार पर और पक्षों के तर्क पर विचार करके, विद्वत निचली अदालत ने अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराया और सजा सुनाई जैसा कि ऊपर बताया गया है।

13. दोषसिद्धि के उपरोक्त निर्णय और सजा के आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी-अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी।

14. इसलिए, याचिका दायर की गई है।

<u>अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से तर्क</u>

15. यह अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री योगेश चंद्र वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया और आरोप लगाया कि अपीलार्थी का नाम शुरू में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, बल्कि उसका नाम पिछली शत्रुता के कारण जाँच के दौरान सामने आता है। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षण के दौरान सूचना देने वाले के संस्करण में कई भौतिक पहलुओं पर सुधार हुआ प्रतीत होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इस तथ्य के लिए कि फिरौती कॉल, जो सूचना देने वाले को प्राप्त हुई थी, अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा बिना किसी पुष्टि करने वाले सबूत के की गई थी, उसे मामले में दोषी ठहराया गया था।

16. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सूचना देने वाले मनोहर साव (पीडब्लू-8) ने खुद को घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में दावा किया है और विशेष रूप से अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि कैसे उनके पुत्र सोनू कुमार का आरोपी व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। यह कहा गया है कि सूचक ने विशेष रूप से कहा कि सह-आरोपी भूषण यादव और संतोष यादव उनके पुत्र को मोटरसाइकिल से ले गए, जबकि उनके पुत्र को सह-आरोपी भूषण यादव ने पकड़ लिया, जबकि संतोष यादव और राजेश यादव दूसरी मोटरसाइकिल पर थे। यह इंगित किया गया है कि यदि ऐसा था, तो सूचना देने वाले की यही गवाही स्पष्ट रूप से सुझाव देती है कि अपीलार्थी-अभियुक्त घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना 04.11.2009 की है, जहां पीड़ित नाबालिग लड़के के पिता के अलावा कोई भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन तुरंत एफ. आई. आर. दर्ज करने के बजाय, सूचना देने वाले ने

पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाकर इतने दिनों तक खुद को प्रतीक्षा मोड में रखा, जिससे पूरी बात संदिग्ध हो गई क्योंकि इस मामले में प्राथमिकी 09.11.2009 को दर्ज किया गया है, यानी घटना के पांच दिनों के बाद।

17. यह विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ने कहा कि उसे 5 लाख रुपये की फिरौती का कॉल आया था जो उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) और सुधीर यादव द्वारा मोबाइल नंबर 9504963018 से उसके मोबाइल नंबर 9631146123 पर किया गया। ऐसा इसलिए था कि अपीलार्थी-अभियुक्त का नाम एफ. आई. आर. में होना चाहिए क्योंकि एफ. आई. आर. कहता है कि इसे दर्ज करने के समय तक उसे उपरोक्त मोबाइल नंबर से पहले ही फिरौती का कॉल आ चुका था, लेकिन उसने मुकदमे के दौरान अपने बयान में सुधार किया और अपीलार्थी-अभियुक्त को फंसाया, जो निर्दोष है।

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस मोबाइल नंबर पर फिरौती की कॉल की गई थी, वह भी इस अपीलार्थी-अभियुक्त की नहीं है। यह बताया गया है कि कोई कॉल विवरण रिपोर्ट (संक्षेप में 'सीडीआर') नहीं है, कोई फोरेंसिक जांच नहीं है, कोई वॉयस सैंपलिंग नहीं है और यहां तक कि जांच के दौरान जारी मोबाइल भी जब्त नहीं किया गया था, जिसके माध्यम से कॉल किया गया था, जिससे पूरे आरोप प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है। यह सुझाव देते हुए कि केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर, अपीलकर्ता-अभियुक्त को प्रश्नगत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सूचक (पीडब्लू-8) द्वारा उनके अपहृत पुत्र सोनू कुमार और उनके बहनोई गौतम कुमार के बारे में

तलाशी ली गई थी, जिनसे मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई थी।

19. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सूचना देने वाले (पीडब्लू-8) ने घटना के तुरंत बाद, जब उसे पता चला कि उसके पुत्र को आरोपी व्यक्ति भूषण यादव और संतोष यादव ले जा रहे हैं, तो उसने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया, लेकिन जब वह उन्हें पकड़ने में सफल नहीं हो सका, तो वह अपने घर वापस आ गया और उसके बाद अपने भाई राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1), पीड़ित की दादी (पीडब्लू4), उसकी पत्नी (पीडब्लू-6) और उसके छोटे भाई (पीडब्लू-7) की पत्नी और एक गौतम कुमार, जिनसे मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की गई थी, जो स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि ये अभियोजन पक्ष के गवाह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्होंने घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। अभियोजन पक्ष इन अंतर्विरोधों/सुधारों की व्याख्या करने में विफल रहा, जिसे विद्वान निचली अदालत ने अपीलार्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराते समय पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इस संदर्भ में, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के जांच अधिकारी होने के नाते पीडब्लू-10 ने विशेष रूप से मुकदमे के दौरान कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी ने भी जांच के दौरान घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा नहीं किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एस. टी. सं. 494/2011 के दोषियों को पहले ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी. आर. के माध्यम से बरी कर दिया गया था। अपील (डी. बी.) सं. 960/2013, क्रि. अपील (डी. बी.) सं. 1082/2013 और क्रि. अपील (डी. बी.) सं. 71/2014, साक्ष्य के लगभग एक ही सेट के साथ और 'समानता' के

इस तरह के सिद्धांत के रूप में भी अपीलार्थी/अभियुक्त का पक्ष लेते हैं।

20. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्क को समाप्त करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्टों पर भरोसा किया। **राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक बनाम सरवनन और एक अन्य [(2008) 17 एस. सी. सी. 587]; नंद लाल और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य [(2023) 10 एस. सी. सी. 470]; संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णागिरी [(2012) 4 एस. सी. सी. 124]; तोमासो ब्रूनो और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2015) 7 एस. सी. सी. 178।**

21. श्री सुजीत कुमार सिंह, विद्वान ए. पी. पी. ने राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि इस मामले में सूचना देने वाला एक अनपढ़ व्यक्ति है और वह कानून के तकनीकी पहलू के बारे में नहीं जानता है और इस तरह, मुकदमे के दौरान मामूली विसंगतियां सामने आना तय है जो न्याय प्रदान करने में बाधा नहीं होगी। यह बताया गया है कि जहां तक एफ. आई. आर. दर्ज करने में देरी के संबंध में निवेदन का संबंध है, सूचना देने वाले की गवाही के माध्यम से ही यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि पहले वह घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन केवल इनकार करने पर वह एस. पी. लखीसराय गया, जबकि इस बीच, उसने अपने स्तर पर परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों के साथ अपने अपहृत पुत्र की पूरी तलाश की।

22. विद्वान ए. पी. पी. द्वारा राज्य के लिए यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने

का वर्तमान मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं है क्योंकि अभियुक्त/अपीलार्थी के मुकदमे को अलग किया गया था जहां आरोप की प्रकृति भी अलग दिखाई दे रही है, जो इस अपीलार्थी-अभियुक्त के लिए अधिक दोषपूर्ण है क्योंकि उसने फिरौती का आह्वान किया था।

23. विद्वान ए. पी. पी. द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना के अन्य चश्मदीद गवाहों को देखते हुए, सूचना देने वाले के बहनोई की गैर-जांच, जो पीड़ित लड़के की तलाश में उसके साथ था, अर्थात् सोनू कुमार अभियोजन के लिए घातक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि अन्य चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया था। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि में अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और उसी के अनुसार इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

24. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान अपील के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए साक्ष्य की सराहना की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैंः

25. पीडब्लू-8 मनोहर साव, जो इस मामले के सूचक हैं और पीड़ित लड़के सोनू कुमार के पिता हैं, जिनकी उम्र लगभग नौ साल है। यह उनके द्वारा अपदस्थ किया गया है कि घटना 04.11.2009 को अपराह्न 09 बजे की है, उन्होंने पदच्युत किया कि उस समय तक साइकिल दौड़ पुस्तकालय के पास आयोजित की गई थी, जहाँ उनका पुत्र भी उक्त साइकिल दौड़ देखने के लिए मौजूद था, जो 9:30 बजे

तक समाप्त हो गई थी। इसने आगे कहा कि जब वह साइकिल दौड़ के बाद अपने घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि उसके पुत्र सोनू कुमार को सह-आरोपी भूषण यादव और संतोष यादव मोटरसाइकिल पर ले गए, जहां उसे भूषण यादव ने पकड़ लिया और एक अन्य मोटरसाइकिल सह-आरोपी संतोष यादव और राजेश यादव वहां थे। वे जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उनका पीछा किया लेकिन जब वे दृष्टि से बाहर हो गए तो वह घर लौट आए और अपने भाई राजीव कुमार (पीडब्लू-1), दादी (पीडब्लू-4), पत्नी (पीडब्लू-6) और अपने बहनोई गौतम कुमार (जांच नहीं कराई गई) को पूरी घटना के बारे में बताया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने फिर से सोनू कुमार के लिए एक संयुक्त खोज की लेकिन उनका पता नहीं लगा सके और अंततः रात में उनके पास लौट आए। अगली सुबह, वह अपने भाई राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) के साथ पुलिस स्टेशन गया और थाना प्रभारी को घटना के बारे में बताया, जो उसे यह कहकर वापस भेज देते हैं कि पहले अपनी ओर से पूरी तरह से खोजबीन करें और फिर आएं। महीने के 7वें दिन, वह पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पास गए, जहाँ उन्होंने अपना बयान दिया जो एस. पी. लखीसराय द्वारा लिखा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि रुपये की फिरौती सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलार्थी-आरोपी) ने अपने मोबाइल नंबर 9504963018 से उसके मोबाइल नंबर 9631146123 पर पांच लाख रूपया फिरौती की मांग की। उन्होंने उस ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड किया। उसने पुलिस अधीक्षक को फिरौती कॉल के बारे में भी सूचित किया और अपने सामने रिकॉर्ड की गई ऑडियो कॉल चलाई। उन्होंने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की जो उनकी पहचान पर **प्रदर्श '1'** के रूप में अंकित किया गया था। उसने पुलिस प्रभारी के सामने फिरौती के संबंध में ऑडियो

कॉल रिकॉर्ड भी चलाया। उन्होंने उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) और सुधीर यादव से इस डर से संपर्क नहीं किया कि वे उन्हें कैद कर सकते हैं। उनका लगभग नौ साल का पुत्र आज तक बरामद नहीं हुआ है। अखबार से पता चलता है कि उसके पुत्र की हत्या कर दी गई और उसके शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया। उन्होंने अदालत के समक्ष अपीलार्थी-अभियुक्त की पहचान की।

25.1 जिरह करने पर, उन्होंने कहा कि दोनों मोटरसाइकिलें काले रंग की थीं और उन्होंने शुरू में गौतम कुमार (जांच नहीं की गई) के साथ अपने पुत्र की तलाश की, जो घटना के दो दिन पहले उनके साथ था। उन्होंने कहा कि वह 7वें दिन पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के पास गए, जबकि घटना 4 की है। अभियुक्त व्यक्तियों के डर से वह कभी किसी से मिलने नहीं गया। वह एस. पी., लखीसराय के पास तभी गया जब उसे फिरौती का फोन आया। यह कहा गया था कि यह उसका मोबाइल था लेकिन सिम कार्ड राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) के नाम पर था। उन्होंने कहा कि जब वह एस. पी. लखीसराय को बयान दे रहे थे, तब उनके चाचा उदय साव (जिनसे पूछताछ नहीं की गई) भी वहां मौजूद थे। एस. पी. लखीसराय ने अपने चाचा को अपने बयान का गवाह नहीं बनाया। उन्होंने भूमि विवाद के बारे में एस. पी. को खुलासा नहीं किया। आगे की प्रतिपरीक्षा पर, उन्होंने कहा कि लिखित जानकारी उनके सामने नहीं लिखी गई थी और उन्हें उस व्यक्ति का नाम भी नहीं पता था जिसने इसे लिखा था। यह भी उन्होंने कहा कि घटना के दौरान मोबाइल उसके साथ था। यह कहा गया था कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद महीने के 9वें दिन पुलिस प्रभारी द्वारा उनका बयान दर्ज किया गया था और उसी दिन उनकी मां (पीडब्लू-3), भाई (पीडब्लू-1) और अन्य पांच लोगों का बयान दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि

साइकिल दौड़ में लगभग 200 लोग उपस्थित थे। उनके पुत्र सोनू कुमार लगभग 6:30 बजे साइकिल दौड़ देखने अपने दोस्तों सुदामा (पीडब्लू-2) और संदीप कुमार (जांच नहीं कराई गई) के साथ आए थे। सुदामा और संदीप कुमार के साथ उनका कोई शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पुलिस के सामने अपना बयान दिया कि उन्होंने देखा कि उनके पुत्र को सोनू कुमार की मोटरसाइकिल पर ले जाया गया था। उसे मोबाइल नंबर 9504963018 से रुपये की फिरौती के लिए कॉल आया। 5 लाख, जो उनके द्वारा दर्ज किया गया था। उक्त रिकॉर्ड किया गया ऑडियो एस. पी. के सामने चलाया गया था लेकिन उसे जब्त नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि मोबाइल उनके नाम पर नहीं था, बल्कि यह राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) के नाम पर था। उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने इस अदालत के समक्ष जो बयान दिया था, वही बयान एस. पी. लखीसराय के समक्ष दिया गया था। यह कहा गया था कि बयान की सामग्री एस. पी. लखीसराय द्वारा उन्हें नहीं पढ़ी गई थी। एस. पी. के समक्ष दिया गया वह बयान उनके वकील ने पढ़ा, जिन्होंने इस मामले में विरोध दर्ज कराया। उनके द्वारा कहा गया था कि वह एस. पी. लखीसराय के समक्ष बयान देते हैं कि उन्हें मोबाइल नंबर 9631146123 पर कॉल आया था, जो उन्हें घटना के तीन दिन बाद प्राप्त हुआ था। यह कहा गया था कि मोबाइल प्रिंट-आउट पुलिस द्वारा नहीं लिया गया था और उसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि रुपये की ऐसी कोई फिरौती कॉल नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उसे 5 लाख रुपये दिए गए और साजिश के तहत उसने अपीलार्थी-अभियुक्त को झूठा फंसाया।

26. पीडब्लू-1 राजीव कुमार हैं, जो सूचना देने वाले (पीडब्लू-8) के भाई हैं, जिन्होंने घटना की तारीख और समय का

समर्थन किया था। उसने अपहरण का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया और कहा कि जब उसका भतीजा सोनू कुमार (पीड़ित) उसके पास वापस आ रहा था, तो उसे हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश यादव ने पकड़ लिया था। उनके दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार ने चेतावनी दी। यह बयान दिया गया कि पीड़ित को सह-आरोपी भूषण यादव और राजेश यादव ले गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि 4-5 दिनों के बाद, उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) और सुधीर यादव द्वारा एक मोबाइल कॉल किया गया और उनके भाई मनोहर साव (मुखबिर/पीडब्लू-8) से 4 से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। उनका भतीजा आज तक लापता है। यह बताया गया कि घटना के चार दिन बाद पुलिस अधीक्षक, लखीसराय को जानकारी दी गई। यह बयान दिया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने पैसे के कारण अपराध किया और फिर भी वे उसे इस प्रश्नगत गवाही नहीं देने की धमकी दे रहे हैं।

26.1. जिरह करने पर, यह कहा गया कि जाँच अधिकारी घटना के 4-5 दिनों के बाद उनके गाँव आए और उनसे घटना के बारे में पूछताछ की। उनके द्वारा यह कहा गया था कि घटना के चार दिनों के बाद उनका भाई (पीडब्लू-8) एस.पी. लखीसराय को जानकारी देने गया था और वह उनके साथ नहीं था। मुकदमे के दौरान उन्होंने यह भी बयान दिया कि उन्होंने जांच अधिकारी को बयान दिया कि घटना की तारीख और समय पर वह अपने भतीजे सोनू कुमार और गौतम कुमार के साथ थे। (सूचना देने वाले का भाई/पीडब्लू-8)।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने आई. ओ. के समक्ष बयान दिया था कि उनके

भतीजे को हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश्वर यादव ने पकड़ रखा था। उन्होंने आई. ओ. से पहले कहा कि उनके भतीजे सोनू कुमार और उनके दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार ने शोर मचाया। उनके द्वारा कहा गया था कि रात में अंधेरा था लेकिन घटना स्थल पर एक ही बिजली का बल्ब था। उसने कहा कि आरोपी लोग दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान में तीन आरोपी भी उनके साथ थे, लेकिन उस समय तक उन्हें अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में पता नहीं था, जिसका खुलासा दिनेश यादव की गिरफ्तारी के बाद ही हुआ था। उनके द्वारा यह कहा गया था कि घटना के तुरंत बाद उनके भाई (पीडब्लू-8) ने पुलिस स्टेशन को फोन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अगली सुबह 10:00 - 11:00 ए. एम. के बीच चानन पुलिस स्टेशन फोन किया। यह कहा गया था कि वह मोबाइल नंबर के कॉल विवरण का प्रिंट आउट प्रस्तुत कर सकता है जिससे 4 से 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी। उन्होंने उक्त फोन का प्रिंट आई. ओ. को इस आशंका के साथ प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों ने उसके भतीजे की हत्या की होगी। वह मोटरसाइकिल किस कंपनी का है इस बारे में खुलासा करने में विफल रहे। वह मोटरसाइकिल के रंग के बारे में भी खुलासा करने में विफल रहे। यह कहा गया था कि उसे सह-अभियुक्त दिनेश यादव की गिरफ्तारी के बाद ही अपीलार्थी-अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में पता चला था। वह साइकिल दौड़ देखते हुए सह-आरोपी दिनेश यादव को नहीं देख सका।

27. पीडब्लू-2 सुदामा कुमार है और पीड़ित सोनू कुमार का दोस्त था और अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उसके अपहरण के

दौरान भी उसके साथ मौजूद था, और शोर मचाया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और वह मुकर गया। राज्य की ओर से उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी ठोस नहीं दिखाई देता है जिसका उपयोग घटना का समर्थन करने वाले अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की पुष्टि/विरोधाभास के उद्देश्य से किया जा सकता है।

27.1. जिरह करने पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से बयान दिया और उन्होंने सोनू कुमार (पीड़ित) को मेले में नहीं देखा।

28. पीडब्लू-3 राम रजक हैं, जिन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया था लेकिन अदालत में उससे कुछ सवाल किए गए जिन्होंने कहा कि वह मेला देखने नहीं गया था और उसने पुलिस के सामने कोई बयान भी नहीं दिया था।

29. पीडब्लू-4 साबो देवी है, जो पीड़ित सोनू कुमार की माँ है, जिसने घटना की तारीख और समय का भी समर्थन किया, अपहरण की कथित घटना में हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव और संतोष यादव की संलिप्तता के बारे में गवाही दी। उसने 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग का भी समर्थन किया जो अपीलार्थी द्वारा उठाए गए थे।

29.1. अपीलार्थी-अभियुक्त उदय यादव की ओर से जिरह करने पर कहा गया कि रात हो गई थी और वह अपने घर पर थी। बाकी अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से जिरह करने पर, उसने कहा कि घटना से पहले अभियुक्त व्यक्तियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। उन्होंने

विशेष रूप से कहा कि वह चश्मे की मदद के बिना नहीं देख सकती थीं। उसे घटना के बारे में पड़ोसी से पता चला, जब वह सोहन महतो के बाहरी आंगन में थी।

30. पीडब्लू-5 डबल्यू महतो हैं, जिन्होंने अभियोजन के केस का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गया। अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने वाले अन्य चश्मदीद गवाहों के बयान के साथ पुष्टि/विरोधाभास के उद्देश्य से राज्य द्वारा जांच किए जाने पर उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी दिखाई नहीं देता है।

31. पीडब्लू-6 पीड़ित की माँ और पीडब्लू-8/सूचक की पत्नी है, जिसने घटना की तारीख और समय का समर्थन किया और बयान दिया कि उसके पुत्र का अपहरण हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), बिलास यादव, सुधीर यादव ने किया था। इस स्तर पर, विद्वान अभियोजक द्वारा एक सवाल उठाया गया था कि क्या उसने इन व्यक्तियों को अपने पुत्र को ले जाते देखा था? जहाँ जवाब में उसने 'हाँ' कहा। इसके बाद, इस प्रश्न को एक प्रमुख प्रश्न नहीं होने दिया गया। उसने कहा कि गौतम कुमार (जांच नहीं कराई गई) और उसके पति (सूचक/पीडब्लू-8) ने उसे सोनू कुमार के अपहरण के बारे में सूचित किया और तभी उसे घटना के बारे में पता चला। जिसके बाद, उक्त सूचना पर, वह पुस्तकालय के पास आई और देखा कि आरोपी व्यक्ति दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे। यह बताया गया कि चार दिनों के बाद, उनके पति (पीडब्लू-8) के मोबाइल पर 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई।

31.1. जिरह पर, उसने कहा कि घटना के दस मिनट बाद, गौतम कुमार और उसके पति, मनोहर साव (पीडब्लू-8) घर आए, उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। यह कहा गया था कि एक-दो मिनट के तुरंत बाद उनके पति और गौतम चले गए, और दस मिनट के बाद, वह पुस्तकालय (घटना स्थल) के पास आई, जहाँ वह पांच व्यक्तियों से मिली, जो सह-ग्रामीण थे, लेकिन उन्हें उनका नाम याद नहीं था। उसने कहा कि वह सह-ग्रामीणों की मदद से आरोपी व्यक्तियों का पीछा नहीं कर सकी। यह कहा गया था कि तीन सह-आरोपी व्यक्ति मोटरसाइकिल पर थे। वह उस मोबाइल फोन के नंबर का खुलासा नहीं कर सकी जिस पर फिरौती की कॉल की गई थी। उसने कहा कि मोटरसाइकिल का रंग काला था। वह उन लोगों के नाम का खुलासा नहीं कर सकी जिन्हें मोटरसाइकिल पर सोनू कुमार को चेहरा ढककर पकड़ रखा था।

32. पीडब्लू-7 पुतुल देवी हैं, जो सूचक/पीडब्लू-8 की माँ हैं, जिन्होंने घटना की तारीख और समय का समर्थन किया और कहा कि उस समय तक वह अपने घर पर थी। उसने पुस्तकालय के पास सोनू कुमार का अपहरण करने के लिए हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, विकास यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) का नाम लिया। उन्हें यह तथ्य गौतम कुमार (जांच नहीं किए गए) से पता चला। वह पुस्तकालय गई, जहाँ उसे पता चला कि स्कूटर पर तीन लोग सवार थे। उसने कहा कि दिनांक-07.11.2009 को सह-आरोपी भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, उदय यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) उसके घर आए और 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी। ऐसा न करने पर उन्होंने बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि इससे पहले यह फिरौती कॉल पीडब्लू-8 के मोबाइल पर

भी की गई थी। यह कहा गया था कि बच्चे को वापस नहीं किया गया था, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों को 5 लाख रू का भुगतान नहीं किया गया।

32.1. जिरह करने पर, यह कहा जाता है कि उसने कहा कि गौतम कुमार उसकी साली (पीडब्लू-6 पिंकी देवी) का भाई है। उन्होंने कहा कि गौतम कुमार उसी दिन लगभग 3:00 दोपहर साइकिल दौड़ देखने के लिए आए थे। यह कहा गया था कि फिरौती की मांग पहली बार सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) द्वारा घर पर की गई। यह मांग पहली बार भूषण यादव ने की थी। घटना के चार दिन बाद उसने पुलिस के सामने अपना बयान दिया। उसने अपने पड़ोसी हरकिशन यादव, भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव के साथ भूमि विवाद के बारे में पुलिस के सामने बताया। यह कहा गया था कि फोन कॉल सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलार्थी-दोषी) द्वारा 06.11.2009 को किया गया था। उन्हें 9:00 बजे सुबह इस घटना के बारे में गौतम कुमार से पता चला और उस समय तक उनकी सास (पीडब्लू-4), गोतनी (साली) पिंकी देवी (पीडब्लू-6) और राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) वहाँ थे और उनके अलावा कोई नहीं था। यह कहा गया था कि वह पिंकी देवी (पीडब्लू-6) और उनके पति राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) के साथ घटना स्थल पर गई थीं। उसकी सास (पीडब्लू-4) बच्चों के साथ घर पर रहती है। अदालत में उससे एक सवाल पूछा गया, जिसमें उसने जवाब दिया कि फोन पर और घर पर फिरौती कॉल के बाद पुलिस को तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

33. पीडब्लू-9 सोहन महतो है जो मुकदमे के दौरान मुकर जाता है और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।

राज्य की ओर से उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कुछ भी ठोस सामने नहीं आया जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की गवाही के साथ पुष्टि/विरोधाभास के लिए किया जा सके, जो अभियोजन पक्ष के मामले में समर्थित प्रतीत होते हैं।

34. पीडब्लू-10 इस मामले के जांच अधिकारी अतुल कुमार मिश्रा हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि 04.11.2019 को वे चानन पुलिस स्टेशन के प्रभारी थे और वहाँ तैनात थे। उन्हें एस. पी. लखीसराय के कार्यालय से 18.11.2009 को एक पत्र मिला जो इस मामले के सूचक मनोहर साव (पीडब्लू-8) द्वारा दिया गया था और उक्त जानकारी के आधार पर उन्होंने एक औपचारिक एफ. आई. आर. दर्ज किया और जांच अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालकर जांच शुरू की। उन्होंने औपचारिक एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए अग्रेषित करने के संबंध में लिखित जानकारी और अपने प्रारंभिक हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे उन्होंने अदालत के समक्ष पहचाना और उनकी पहचान पर, इसे **प्रदर्श '2'** के रूप में प्रदर्शित किया गया। उन्होंने जाँच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए। उनके द्वारा यह बयान दिया गया कि 10.11.2009 को उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'Cr.P.C.') की धारा 164 के तहत संजीव कुमार का बयान दर्ज कराया। जिसका मोबाइल नंबर फिरौती कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और वही मोबाइल नंबर 9504963018 से मोबाइल नंबर 9631146123 पर किया गया था, जिसे रिकॉर्ड किया गया था और उसके सामने प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने मोबाइल नंबर 9631146123 की पहचान की और उनकी पहचान पर, इसे परीक्षण के दौरान सामग्री **प्रदर्श संख्या 1 (आपत्ति के साथ)** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उनका कहना था कि पीड़ित अभी भी लापता है और गिरफ्तारी पर दिनेश यादव (सह-

आरोपी) ने अपने इकबालिया बयान के माध्यम से कहा कि अपहरण के 4-5 वें दिन के बाद उन्होंने 'बरहिया ताल' के पास अपहृत बच्चे की हत्या कर दी थी और आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता के बारे में भी स्वीकार किया था।

34.1. जिरह के बाद उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन्होंने मोबाइल जब्त नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष पहचान के लिए उस मोबाइल को चिह्नित नहीं किया, जिसे मुखबिर ने उनके सामने पेश किया था। उन्होंने किसी भी मोबाइल के संबंध में जांच के दौरान कॉल विवरण रिपोर्ट (सी. डी. आर.) का प्रिंट आउट नहीं लिया। यह कहा गया था कि इस मामले में कोई मोबाइल जब्त नहीं किया गया था और न ही कोई कॉल विवरण रिपोर्ट (सीडीआर) प्राप्त की गई थी। जिरह के दौरान, उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पीडब्लू-1 ने उनके सामने कभी यह बयान नहीं दिया कि उनके भतीजे को हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश यादव ने पकड़ लिया था, जिसके बाद सोनू कुमार (पीड़ित) ने अपने दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार के साथ शोर मचाया और उसके बाद भूषण यादव और राजेश यादव सोनू कुमार को मोटरसाइकिल से ले गए। उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्लू-1 ने जांच के दौरान चश्मदीद गवाह के रूप में दावा नहीं किया। उन्होंने जिरह पर आगे कहा कि मुखबिर/पीडब्लू-8 मनोहर साव ने जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया कि जब वह 9:30 बजे शाम को साइकिल दौड़ बंद करके अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि भूषण यादव और संतोष यादव उनके पुत्र सोनू कुमार को ले जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अपने पुनर्कथन में उन्होंने यह नहीं कहा कि पीड़ित को भूषण यादव ने पकड़

लिया था और अगली मोटरसाइकिल पर संतोष यादव और राजेश यादव थे, जिसके बाद वे जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने यह भी बयान दिया कि मुखबिर ने जांच के दौरान यह नहीं कहा कि उसने अपीलार्थी-अभियुक्त का कुछ दूरी तक पीछा किया और जब वे नज़रों से दूर चला गया तो वे लौट आए थे। यह भी कहा गया कि सूचना देने वाले ने जांच के दौरान अपने बयान में यह खुलासा नहीं किया कि घर आने के बाद उसने अपने भाई राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1), दादी (पीडब्लू-4), पत्नी (पीडब्लू-6) , माँ (पीडब्लू-7) और बहनोई गौतम कुमार (जांच नहीं कराई गई) को घटना के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पिंकी देवी (पीडब्लू-6) ने उनके सामने जांच के दौरान यह नहीं कहा कि उन्होंने देखा कि हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, विकास यादव, बिलास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव सोनू कुमार (पीड़ित) को ले जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुतुल देवी (पीडब्लू-7) ने 07.11.02009 पर अपना बयान नहीं दिया कि आरोपी भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, किशन यादव, विकास यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) उनके घर आए और फिरौती के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह, जिनका बयान जांच के दौरान उनके द्वारा दर्ज किया गया था, घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उन्होंने यह भी बयान दिया कि वर्तमान मामले के संबंध में कोई साइकिल या मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई है। उन्होंने सूचक/पीडब्लू-8 और आरोपी व्यक्तियों के बीच जांच के दौरान भूमि विवाद के बारे में भी नहीं कहा।

35. सी. डब्ल्यू.-1 संजीव कुमार हैं, जो मोबाइल नंबर के धारक प्रतीत होते हैं। 9504963018 जिससे फिरौती की कॉल की गई

थी। उन्होंने कहा कि सिम उनकी मां रीता देवी के नाम पर है। यह कहा गया था कि वह और उसकी माँ मोबाइल और सिम का उपयोग कर रहे थे। यह कहा गया था कि उक्त मोबाइल नंबर सह-आरोपी सुधीर यादव द्वारा वर्ष 2009 में लिया गया था और उसके बाद उसे कभी वापस नहीं किया गया। उन्होंने जांच के दौरान पुलिस निरीक्षक के सामने भी इस तथ्य का खुलासा करने के लिए कहा। यह बयान अदालत के समक्ष भी दर्ज किया गया था, जिसे उन्होंने मुकदमे के दौरान पहचाना था, जिसे पहचान पर **प्रदर्श '1'** के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने अदालत के समक्ष उदय यादव (अपीलार्थी-आरोपी) की पहचान की। उन्होंने इस तथ्य के बारे में किसी भी प्राधिकरण/पुलिस के साथ कोई आवेदन नहीं किया कि उनका फोन उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) द्वारा लिया गया था। उन्होंने सिम कार्ड की सेवाओं को बंद करने के लिए कंपनी से अनुरोध भी नहीं किया। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि उनके पास सिम कार्ड है, केवल अपराधियों को अपना मोबाइल प्रदान करने के लिए एवं फिरौती में मदद करने के लिए।

36. मौखिक साक्ष्यों की उपरोक्त चर्चाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना देने वाले पीडब्लू-8 ने खुद को घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के समक्ष बयान दर्ज कराया। उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे पहले ही रुपये की फिरौती का फोन आया था। एस. पी. लखीसराय को बयान देने से पहले 5 लाख, लेकिन उन्होंने इस अपीलार्थी-अभियुक्त के नाम का खुलासा नहीं किया। इसलिए, मुकदमे के दौरान इस अपीलार्थी-अभियुक्त का नाम लेना एस. पी. लखीसराय के समक्ष दिए गए अपने लिखित बयान के माध्यम से दिए गए उसके पहले के बयान के विपरीत

प्रतीत होता है, जिससे अपीलार्थी-अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।

37. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान एफ. आई. आर. का आधार एस. पी. लखीसराय के समक्ष दिया गया बयान है, जिसकी सुनवाई के दौरान जांच नहीं की गई थी और इसलिए, एफ. आई. आर. की सामग्री को उसकी सही भावना से साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूचना देने वाले/पीडब्लू-8 ने घटना स्थल पर अपीलकर्ता-अभियुक्त को नहीं देखा, जबकि पीडब्लू-1, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 ने सूचना देने वाले के नाबालिग पुत्र को घटना स्थल पर पकड़ने के लिए अपीलकर्ता-अभियुक्त का नाम लिया। पीडब्लू-7, जो सूचना देने वाले राजीव कुमार साव (पीडब्लू-1) के छोटे भाई की पत्नी है, ने विशेष रूप से कहा कि अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा फोन पर फिरौती कॉल के बाद सुधीर यादव सहित सह-आरोपी व्यक्तियों भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, किशन यादव, विकास यादव, राजेश यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) द्वारा भी फिरौती की सीधी कॉल की गई थी। पीडब्लू-6 ने विशेष रूप से कहा था कि सह-आरोपी भूषण यादव ने घर पर फिरौती मांगी थी। फिरौती की मांग के संबंध में यह महत्वपूर्ण पहलू, जो अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि का एकमात्र आधार प्रतीत होता है, न तो एफ. आई. आर. के माध्यम से उठाया गया था और न ही सूचना देने वाले या किसी अन्य अभियोजन गवाह द्वारा मुकदमे के दौरान कहा गया था, जिससे इस अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा फिरौती की मांग के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।

38. यह स्वीकार की गई स्थिति है जो आई. ओ. के बयान से दिखाई देती है। (पीडब्लू-10) कि जांच के दौरान सिम सहित कोई भी

मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया है कि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए फिरौती मांगने में शामिल होने का दावा किया गया है। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा बताए गए फिरौती कॉल, मोबाइल और सिम की गैर-जब्ती और इस संबंध में किसी भी कॉल विवरण रिपोर्ट (सी. डी. आर.) की उपलब्धता को गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मोबाइल नंबर 9504963018 जिसका उपयोग कथित रूप से रुपये की फिरौती मांगने के लिए किया गया था। 5 लाख रुपये के सिम का उपयोग संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसकी जांच सी. डब्ल्यू.-1 के रूप में की गई थी और जिसका बयान भी धारा 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था। उक्त सिम उसकी मां रीता देवी के नाम पर था। उन्होंने मुकदमे के दौरान कहा और स्वीकार किया कि उनका फोन 2009 के 11वें महीने में सह-आरोपी सुधीर यादव द्वारा लिया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि सिम किसी भी समय अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ था। इसके अलावा, जो ऑडियो पीडब्लू-8 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और जिसे पीडब्लू-10 के सामने प्रदर्शित किया गया था, उसे किसी भी फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, जिसे अपीलार्थी-आरोपी और अन्य सह-आरोपी उदय यादव द्वारा बुलाए जाने का दावा किया गया था। जिस मोबाइल नंबर पर फिरौती की कॉल आई थी, वह सूचना देने वाले का नहीं है, बल्कि पीडब्लू-1 राजीव कुमार साव का है।

39. इस संदर्भ में, **तोमासो ब्रूनो** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा **25 और 26** को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

"25. वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का उत्पादन साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत अदालत में विचार करना जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष के लिए भी बहुत मददगार है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रासंगिकता मोहम्मद अजमल **अमीर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2012) 9 एस. सी. सी. 1:(2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 481], जिसमें** इंटरनेट लेनदेन के प्रतिलेखों ने अभियोजन पक्ष के मामले को अपराध साबित करने में बहुत मदद की**। इसी तरह, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू [(2005) 11 एस. सी. सी. 600:2005 एससीसी (सीआरआई)**1715], मारे गए आतंकवादियों और हमले के मास्टरमाइंडों के बीच संबंध केवल मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्राप्त फोन कॉल प्रतिलेखों के माध्यम से स्थापित किए गए थे।

26. निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सीसीटीवी फुटेज का संग्रह न करना, अधूरी साइट योजना, सभी रिकॉर्ड और अभियुक्तों से जब्त किए गए मोबाइल फोन के सिम विवरण को शामिल न करना दोषपूर्ण जांच के उदाहरण हैं और यह अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेगा। सीसीटीवी फुटेज का उत्पादन न करना, कॉल रिकॉर्ड (विवरण) का संग्रह न करना और आरोपी से जब्त किए गए मोबाइल फोन के सिम विवरण को केवल दोषपूर्ण जांच के उदाहरण नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह सर्वोत्तम सबूत को रोकने के बराबर है। यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं उठाया जा सका या सीडी की प्रति नहीं बनाई जा सकी।

40. उपरोक्त परिस्थितियों में, मोबाइल नंबर 9504963018 से सूचक/पीडब्लू-8 को फिरौती कॉल करने के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त को जोड़ना विश्वसनीय नहीं लगता है।

41. यह आगे कहा जा सकता है कि एफ. आई. आर. भी यह खुलासा नहीं कर रहा है कि सूचना देने वाला या कोई अभियोजन पक्ष का गवाह घटना का चश्मदीद गवाह है। I.O./PW-10 ने विशेष रूप से यह भी कहा कि कोई भी अभियोजन पक्ष का गवाह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमे के दौरान विद्वान बचाव पक्ष के वकील द्वारा घटना के संबंध में कई बेहतर संस्करणों पर ध्यान आकर्षित किया गया था, जिन्हें I.O./PW-

10 के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने Cr.P.C की धारा 161 के तहत जांच के दौरान बयान दर्ज किया था और विशेष रूप से जिरह के दौरान इनकार किया था, कि पीडब्लू-1 ने उनके सामने कभी यह बयान नहीं दिया कि उनके भतीजे को हरकिशन यादव, भूषण यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, विकास यादव, उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी), सुधीर यादव और राजेश यादव ने पकड़ लिया था, जिसके बाद सोनू कुमार (पीड़ित) ने अपने दोस्त सुदामा कुमार और संतोष कुमार के साथ शोर मचाया और उसके बाद भूषण यादव ने शोर मचाया। और राजेश यादव सोनू कुमार को मोटरसाइकिल से ले गए। उन्होंने यह भी कहा कि पीडब्लू-1 ने जांच के दौरान चश्मदीद गवाह के रूप में दावा नहीं किया। उन्होंने जिरह पर आगे कहा कि सूचक/पीडब्लू-8 मनोहर साव ने जांच के दौरान यह बयान नहीं दिया कि जब वह 9:30 बजे साइकिल दौड़ समाप्त करके अपने घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि भूषण यादव और संतोष यादव उनके पुत्र सोनू कुमार को साथ ले जा रहा है। उन्होंने अपने पुनर्कथन में यह भी कहा कि उन्होंने पीड़ित को भूषण यादव ने पकड़ लिया था और अगली मोटरसाइकिल पर संतोष यादव और राजेश यादव थे, जिसके बाद वे जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने यह भी बयान दिया कि मुखबिर ने जाँच के दौरान यह नहीं कहा कि उसने अपीलार्थी-अभियुक्त का कुछ दूरी तक पीछा किया था और जब वे नज़रों से दूर चले गए तो ही वापस आया। यह भी कहा गया कि सूचना देने वाले ने जांच के दौरान अपने बयान में यह खुलासा नहीं किया कि घर आने के बाद उसने अपने परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पिंकी देवी (पीडब्लू-6) ने उनके सामने जांच के दौरान कहा है कि उन्होंने देखा कि उदय यादव (अपीलार्थी आरोपी) सहित आरोपी व्यक्तियों को सोनू कुमार (पीड़ित) को ले जाया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि पुतुल देवी (पीडब्लू-7) ने 07.11.2009 पर अपना बयान नहीं दिया कि आरोपी भूषण यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, किशन यादव, विकास यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, सुधीर यादव और उदय यादव (अपीलकर्ता-दोषी) उनके घर आए और फिरौती के रूप में 5 लाख रुपये की मांग की। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह, जिनका बयान उन्होंने जांच के दौरान दर्ज किया था, घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान मामले के संबंध में कोई साइकिल या मोटरसाइकिल जब्त नहीं की गई है। उन्होंने सूचक/पीडब्लू-8 और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जांच के दौरान भूमि विवाद के बारे में भी जानकारी नहीं दी।

42. इन उपरोक्त चर्चा किए गए विरोधाभासों और सुधार से यह नहीं पता चलता है कि यह मामूली विरोधाभास का मामला है, बल्कि यह सुझाव देता है कि एफ. आई. आर. के माध्यम से लगाए गए आरोप पर यह एक पूर्ण सुधार है। जांच के दौरान ऐसा कोई भी बयान देने से इनकार करना, जैसा कि ऊपर कहा गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 (3) के संदर्भ में अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त है और उनकी गवाही प्रश्नगत अपराध में अपीलकर्ता-अभियुक्त से जुड़े मामले को स्वीकार करने के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं लगती है।

43. माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 21, 22 और 23 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। **संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णागिरी** ने **(2012) 4 एस. सी. सी. 124** का

मामला में रिपोर्ट किया जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"21. नारायण चेतनराम चौधरी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2000) 8 एस. सी. सी. 457:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 1546:ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3352] इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया जबकि एक गवाह की गवाही में विसंगतियां जो स्मृति दोषों के कारण हो सकती हैं, स्वीकार्य थीं, गवाही में विरोधाभास नहीं थे। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 483, पैरा 42)

42. केवल ऐसी चूक जो भौतिक विवरणों में विरोधाभास है, का उपयोग गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। पुलिस के बयान में चूक अपने आप में गवाह की गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाएगी। जब अदालत में गवाह द्वारा दिया गया बयान उसके पहले के बयानों में बताए गए भौतिक विवरणों से अलग होता है, तो अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है और अन्यथा नहीं। सच्चे गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास दिखाई देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि स्मृति कभी-कभी गलत होती है और अवलोकन की भावना व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है।

22. विसंगतियों और विरोधाभासों के बीच के अंतर को इस न्यायालय द्वारा एच. पी. बनाम राज्य में समझाया गया था। लेख राज [(2000) 1 एस. सी. सी. 247:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 147:ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3916] हरियाणा राज्य बनाम गुरदियाल सिंह [(1974) 4 एस. सी. सी. 494 में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता हैः1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 530:ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1871] जहाँ अभियोजन पक्ष के गवाह घटना के दो असंगत संस्करणों के साथ सामने आए थे। इनमें से एक संस्करण अदालत में दिया गया था जबकि दूसरा पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में निहित था। इस न्यायालय ने माना कि ये विरोधाभासी संस्करण थे जिन पर तथ्य का निष्कर्ष सुरक्षित रूप से आधारित नहीं हो सकता था।

23. गुरदियाल सिंह [(1974) 4 एस. सी. सी. 494 में यह न्यायालयः1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 530:ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1871] ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 500, पैरा 21)

21. वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह घटना के दो असंगत संस्करणों के साथ सामने आए हैं। घटना का एक संस्करण अदालत में गवाहों के साक्ष्य में निहित है, जबकि दूसरा संस्करण पुलिस के समक्ष दिए गए उनके बयानों में निहित है।... इन विरोधाभासी संस्करणों को ध्यान में रखते हुए,

> उच्च न्यायालय, हमारी राय में, सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

44. वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से एफ. आई. आर. घटना के पाँच दिन बाद दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू-3, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 ने विशेष रूप से भूमि विवाद और आरोपी व्यक्तियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के बारे में बताया। इसलिए, विलंबित एफ. आई. आर. दर्ज करने से भी अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है। **नंद लाल** मामले (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैरा '31' को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा।

> **31.** जैसा कि इस न्यायालय ने रमेश बाबूराव बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2007) 13 एस. सी. सी. 501] मामले में अभिनिर्धारित किया है, एफ. आई. आर. सबूत का एक मूल्यवान टुकड़ा है, हालांकि यह पर्याप्त सबूत नहीं हो सकता है। एफ. आई. आर. को तत्काल दर्ज करने से व्यक्तियों की अधिक संख्या के निहितार्थ के संबंध में संदिग्धता दूर हो जाती है, विशेष रूप से जब मामले में दो समूहों के बीच लड़ाई शामिल होती है। जब दोनों पक्षों के बीच टकराव होता है, तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने से अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वास मिलता है।

45. वर्तमान मामले में, पीडब्लू-8/सूचक के बयान से यह प्रतीत होता है कि उसने अपीलार्थी-अभियुक्त को घटना स्थल पर नहीं देखा था और जब वह प्रारंभिक तलाशी के बाद घर लौटा तो उसने अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों यानी पीडब्लू-1, पीडब्लू-4, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 और परिवार के अन्य सदस्यों को घटना के बारे में बताया। लेकिन मुकदमे के दौरान इन सभी गवाहों ने खुद को घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। ये गवाह पीड़ित के माता-पिता/करीबी रिश्तेदार हैं जो परिवार के सदस्य हैं। भूमि विवाद/पड़ोस विवाद स्वीकार्य स्थिति है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी-अभियुक्त के एक इच्छुक गवाह होने की संलिप्तता के उनके संस्करण

को स्वीकार करना असुरक्षित है ताकि अभियोजन पक्ष के मामले से विचलित होकर अपीलार्थी-अभियुक्त को किसी भी तरह से दोषी ठहराया जा सके।

46. घटना स्थल पर तुरंत आए सूचक/पीडब्लू-8 और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयान के अनुसार विशेष रूप से कहा गया कि लगभग 200 व्यक्तियों की भीड़ थी जो ज्यादातर सह-ग्रामीण और आस-पास के क्षेत्र के निवासी थे, लेकिन इस मामले में किसी भी स्वतंत्रता गवाह से पूछताछ नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल स्वतंत्रता गवाह पीडब्लू-3 राम रजक हैं, मुकदमे के दौरान अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने यह कहते हुए घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि उन्हें जांच अधिकारी के सामने कोई बयान नहीं दिया गया था और वे घटना स्थल पर भी नहीं गए थे। **सरवनन** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा '14' को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जो निम्नानुसार हैः

> "**14**. यह सिद्धांत कि गवाह के करीबी रिश्तेदार हैं और परिणामस्वरूप पक्षपाती गवाह होने के कारण, इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1953 में ही *दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य* [(1953) 2 एस. सी. सी. 36:ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364] जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः(ए. आई. आर. पी. 366, पैरा 26)
>
> "26. एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्रता माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से नहीं आता है जिनके दूषित होने की संभावना है और इसका आम तौर पर मतलब है जब तक कि गवाह के पास आरोपी के खिलाफ शत्रुता जैसे कारण नहीं हैं, कि वह उसे गलत तरीके से फंसाना चाहता है। आम तौर पर एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी की जांच करने और एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सच है कि जब भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और दुश्मनी के लिए व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को फसाने

की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ गवाह को दोषी के साथ वैमनस्य है, लेकिन इस तरह की आलोचना के लिए नींव डाली जानी चाहिए और रिश्ते का केवल तथ्य जो एक नींव से दूर है, अक्सर सत्य की एक निश्चित गारंटी होती है। हालाँकि, हम किसी भी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियाँ केवल उन बातों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं जिन्हें अक्सर विवेक के सामान्य नियम के रूप में हमारे सामने रखा जाता है। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित और नियंत्रित होना चाहिए।

47. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को कानून की नजर में टिकाऊ नहीं कहा जा सकता है।

48. तदनुसार, संदेह का लाभ बढ़ाते हुए क्योंकि अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं का जवाब देने में विफल रहा है क्योंकि अपीलार्थी-अभियुक्त को प्रश्नगत अपराध से जोड़ा गया है, इसलिए उपरोक्त निर्णय दिनांक-14.06.2019 जो लखीसराय थाना केस नं. 565/2009 से उत्पन्न, सत्र सुनवाई सं. 494 बी/2011 में फास्ट ट्रैक कोर्ट-2, सिविल कोर्ट, लखीसराय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है।

49. अपीलार्थी-अभियुक्त सुधीर यादव को विद्वत निचली अदालत द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

50. अपील को स्वीकृत किया जाता है।

51. ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स के साथ इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वान ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

(अंजनी कुमार शरण, न्यायमूर्ति)

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।